IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0 एफ.4( )ग्रापंमुख्यालय/विधि/पंरा/2016/606 जयपुर, दिनांकः 26-7-2016

1. ज़िला कलेक्टर, समस्त ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त ।

विषयः– **नव सृजित/गठित ग्राम पंचायतों का मुख्यालय परिवर्तन नहीं किये जाने बाबत ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.11.2014 को अधिसूचनाऐं जारी कर राज्य में 723 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन/सृजन किया गया है। उक्त अधिसूचना में जिस ग्राम के नाम से ग्राम पंचायत का सृजन/गठन किया गया है वही ग्राम इन ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत मुख्यालय रहेगा, ऐसी पंचायतों में सम्मिलित अन्य ग्रामों में से किसी ग्राम को पंचायत मुख्यालय नहीं बनाया जा सकता है।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ प्रकरणों में उपरोक्तानुसार नवगठित ग्राम पंचायतों के पंचायत मुख्यालय हेतु भूमि का आवंटन अथवा पंचायत भवन आदि बनवाये जाने का कार्य अधिसूचना दिनांक 05.11.2014 में वर्णित पंचायत मुख्यालय के स्थान पर किसी अन्य ग्राम में करवाये जाने का प्रयास संबंधित सरपंच द्वारा किया जा रहा है । उपरोक्त के क्रम में **स्पष्ट किया जाता है कि अगर किसी सरपंच द्वारा स्वयं स्तर पर मुख्यालय परिवर्तन करने हेतु कार्रवाई की जा रही हैं, तो वह विधिसम्मत नहीं है । राज्य सरकार द्वारा नवीन ग्राम पंचायत के गठन बाबत जारी अधिसूचना दिनांक 05.11.2014 में विनिर्दिष्ट मुख्यालय को इस प्रकार से किसी भी सरपंच या ग्राम पंचायत अथवा किसी भी स्तर से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ।**

अतः इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ग्राम पंचायत मुख्यालय को किसी अन्य स्तर पर परिवर्तित नहीं किया जाकर, नवगठित पंचायत के कार्यालय भवन हेतु भूमि का आवंटन एवं निर्माण अधिसूचित पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में ही किया जाये न कि किसी अन्य ग्राम में ।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त